



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:- 29.11.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त गोविन्दा सोनकर को दुष्कर्म के प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 358/2021, धारा- 376(1) भादवि सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्दा सोनकर पुत्र स्व0 लल्लू सोनकर निवासी- जीवधीपुर बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.11.2023 को मा० न्यायालय विशेष पाक्सो न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त गोविन्दा उपरोक्त को धारा- 376(1) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी